



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274515
CG-JH-E-15072026-274515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561]
No. 561]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनवाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 619(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (4) के तहत मझे मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है), उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (4) के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति कोड, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और शुल्क तय करता हूँ।

दायरा: यह मानक उन प्रशिक्षण केंद्रों के संबंध में नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और शुल्क बताता है जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं कोड, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किए गए हैं, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (4) के तहत खानों में कार्यरत लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

लागू होना: यह प्रोफार्मा और शुल्क उन सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगा जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं कोड, 2020 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किए गए हैं, जिनके पास उपजीविकाजन्य सुरक्षा,

स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के उप-नियम (3) में बताए गए अनुसार बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं, और जिनका उपयोग खानों में कार्यरत लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाएगा।

अनुपालन आवश्यकता:

भाग 1-

आवेदन पत्र

उपजीविकाजन्य सुरक्षा), स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, (4)163 का नियम 2026 देखें(

सेवा में,

मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता, धनबाद

क्षेत्रीय निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता, क्षेत्र.....

विषय: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163(3) के तहत M/s..... के(नाम) प्रशिक्षण केंद्र की मंजूरी के लिए आवेदन, जिसे खदान कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कानून के तहत स्थापित किया गया है।

हम इसके साथ अपने प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध स्टाफ, उपकरणों और बुनियादी ढांचे का विवरण जमा कर रहे हैं।

I. प्रशिक्षण केंद्र के बारे में सामान्य जानकारी:

- a. नया प्राधिकरण / नवीकरण
- b. पिछले ऑथराइजेशन का संदर्भ:

II. स्टाफ का विवरण (आवेदन की तिथि के अनुसार):

1. पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी
 - a. प्रशिक्षण अधिकारी का नाम
 - b. योग्यता
 - c. अनुभव
 - d. प्राप्त वैधानिक प्रमाण-पत्र

2. माइनिंग इंस्ट्रक्टर (खनन प्रशिक्षक) का विवरण:

- a. इंस्ट्रक्टर का नाम
- b. योग्यता
- c. अनुभव
- d. प्राप्त वैधानिक प्रमाण-पत्र

3. मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर का विवरण:

- a. इंस्ट्रक्टर का नाम
- b. योग्यता
- c. अनुभव

4. इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर का विवरण: a. इंस्ट्रक्टर का नाम

b. योग्यता

c. अनुभव

d. प्राप्त वैधानिक प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो):

5. इंस्ट्रक्टर का विवरण (तेल खदानों के मामले में):

a. इंस्ट्रक्टर का नाम:

b. विषय/क्षेत्र (ड्रिलिंग, पेट्रोलियम, केमिकल, भू-भौतिकी और अन्य)

c. योग्यता

d. अनुभव

6. प्रशिक्षण देने के लिए बुलाए जाने वाले प्रस्तावित गेस्ट फैकल्टी:

a. योग्यता:

b. अनुभव:

7. काम के दौरान निर्देश देने के लिए ट्रेनर (अनुभवी कर्मचारी)

की संख्या : (वाइज-ट्रेड)

8. अन्य सहायक कर्मचारियों का विवरण (जैसे लाइब्रेरियन, क्लर्क, टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, मल्टी-टास्किंग स्टाफ़/ऑफिस अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कर्मचारी आदि):

III: ट्रेनिंग देने के लिए प्रस्तावित खदानों और रोज़गार का विवरण .

क्रम सं.	खान	मालिक	काम पर रखे गए लोगों की संख्या			ट्रेनिंग सेंटर से दूरी
			विभागीय	कॉन्ट्रैक्ट	कुल	

IV: बुनियादी सुविधाओं का विवरण .

क्रम सं.	सुविधाएं	आवश्यक	उपलब्ध	कमियाँ
1	लेक्चर हॉल/कमरा			
2	गैस टेस्टिंग रूम भूमिगत खदानों के) (लिए लागू			
3	ऑफिसर रूम			
4	स्टोररूम			
5	प्रदर्शन के लिए वर्क शेड			

V: ट्रेनिंग सेंटर में रहने और अन्य सुविधाएं .

क्रम संख्या	सुविधाएं	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	ट्रेनिंग ऑफिसर का कमरा			
2	असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का कमरा			
3	इंस्ट्रक्टर का कमरा			
4	लाइब्रेरी और रीडिंग रूम			
5	गैस-टेस्टिंग चैंबर (भूमिगत खदानों के लिए लागू)			
6	ऑफिसस्टाफ और रिकॉर्ड - रूम			
7	मॉडल-रूम और ट्रेनिंग शॉप			
8	ट्रेनिंग गैलरी			
9	साफ-सफाई की व्यवस्था (पर्याप्त संख्या में पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर के लिए यूरिनल/टॉयलेट)			
10	पीने के पानी की व्यवस्था			
11	पर्याप्त पार्किंग की जगह			
12	ट्रेनिंग लेने वालों के लिए रहने की सुविधा (यदि कोई हो)			
13	खदानों से ट्रेनिंग लेने वालों के आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, यदि कुछ			

VI : फर्नीचर .

क्रम सं.	सुविधाएँ/फर्नीचर	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	इंस्ट्रक्शनल और अन्य स्टाफ़ के लिए टेबल और कुर्सियाँ			
2	ट्रेनीज़ के लिए डेस्क/बेंच/स्टूल			
3	ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखने के लिए अलमारी और फ़ाइलिंग कैबिनेट			

4	टाइपराइटर, डुप्लिकेटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपीयर आदि के साथ कंप्यूटर			
5	किताबें और मैगज़ीन रखने के लिए बुककेस/शेल्फ़			
6	घड़ियाँ, वेस्टपेपर बास्केट			
7	सेफ़्टी हेलमेट, सेफ़्टी लैंप और वर्कर की यूनिफ़ॉर्म के लिए फ़िक्चर			

VII:ट्रेनिंग एड्स .

क्रम सं.	सुविधाएँ/फ़र्नीचर	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	नोटिस/बुलेटिन बोर्ड			
2	ब्लैक बोर्ड/व्हाइट बोर्ड			
3	ऑडियो-विजुअल एड्स और टीवी के साथ			
4	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर।			
5	अलग-अलग विषयों पर वॉल चार्ट			
6	गैस टेस्टिंग उपकरण, गैस कैप और फ्लेम सेफ़्टी (भूमिगत खदानों के लिए लागू)			
7	मॉडल काम करने वाले), कट(अवे आदि-			
8	सुरक्षा और अन्य पोस्टर; फ़्लिप चार्ट, फ्लैशकार्ड, ग्राफ, चित्रमय आरेख; तस्वीरें			
9	फ़िल्म और फ़िल्म स्ट्रिप्स, डिजिटल वीडियो/जानकारी जो CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या किसी अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस में सुरक्षित हों (सुरक्षा या माइंस/वर्कशॉप में काम शुरू			

	करने के सुरक्षित तरीके पर)			
10	खनिकों के सुरक्षा उपकरण (गाँगल्स, दस्ताने, सुरक्षा बेल्ट, रेस्परेटर, गैस मास्क आदि)			
11	प्राथमिक चिकित्सा उपकरण			
12	चलाए जा रहे अलग-अलग कोर्स के लिए			
13	आयोजित किए जाने वाले कोर्स			
14	कोई अन्य ट्रेनिंग एड्स			

VIII :इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग शॉप और हैंड टूल्स/मैकेनिकल .

क्रम सं	उपकरण	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	सुरक्षा उपकरण जैसे सिल्वेस्टर प्रॉप हटाना, री-रेलर्स, R. स्विच, ड्रैग; वायर रोप के लिए अटैचमेंट जैसे पिक, हथौड़ा, फावड़ा, क्रोबार और टिंबरिंग व अन्य सपोर्ट के काम, ट्रैक बिछाने, पाइप फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स; और शॉट होल ड्रिलिंग व शॉट फायरिंग/ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए टूल्स, उपकरण और एक्सेसरीज़			
2	इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग डिवाइस, ज़रूरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इलेक्ट्रिकल ले-आउट और अलग-अलग इक्विपमेंट के वर्किंग कट-मॉडल			

IX:संदर्भ सामग्री .

क्रम सं	आवश्यक सामग्री	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	निर्माताओं की सामग्री, जैसे विभिन्न प्रकार के वायर रोप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और माइनिंग केबल के नमूने; वेंटिलेशन उपकरण, जैसे वेंटिलेशन-ट्यूब, ब्रैटिस।			

2	विभिन्न विषयों पर संदर्भ पुस्तकें, कैटलॉग और संबंधित पत्रिकाएँ।			
---	---	--	--	--

X:सप्लाई .

क्रम सं	आवश्यक सामग्री	ज़रूरी	उपलब्ध	कमियाँ
1	A) क्लास रूम: i) ब्लैक बोर्ड, चॉक, व्हाइट बोर्ड, व्हाइटबोर्ड पेन, स्टेशनरी का सामान, फ़ॉर्म और रजिस्टर, वर्कबुक ii) अक्षर लिखने के लिए स्टेंसिल का सेट और ब्रश और पेंट, लिखने की स्लेट और पेंसिल			
	B) ट्रेनिंग गैलरी/वर्क-शेड: i) लकड़ी या स्टील के सपोर्ट, ढक्कन, वेज (wedges) वगैरह; ज़रूरी सामान जैसे फिशप्लेट, बोल्ट, डॉग नेल, स्लीपर वगैरह के साथ ट्रामलाइन; लाने-ले जाने के लिए टब/गाड़ियाँ; और दरवाज़े, रेगुलेटर व वेंटिलेशन और आग पर काबू पाने जैसे कामों के लिए दूसरे उपकरण। ii) खुला खदान या भूमिगत खदान (जैसा लागू हो) में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लास्टिंग टूल्स और डमी ब्लास्टिंग एक्सेसरीज़। iii) इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी के पॉज़िटिव आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स, एक्सेसरीज़ और सैंपल फ़ॉर्म/रजिस्टर।			
	C) तेल खदानों में काम करने की जगह (वर्क शेड): कामकाज की जानकारी, साइट के हिसाब से उपकरण, काम के दौरान इस्तेमाल होने वाले			

	सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बेल्ट, आग बुझाने की व्यवस्था, PPE, गैस डिटेक्टर वगैरह।			
--	--	--	--	--

XI. अन्य सुविधाएं:

a) डंपर, फावड़े (shovels), डोजर, ग्रेडर, लोडर आदि जैसी अलग-अलग मशीनों पर ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर का विवरण (यदि कोई हो):

b) कोई अन्य सुविधा:

XII. आवेदन शुल्क का विवरण (वोकेशनल ट्रेनिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित):

a. राशि (रु. में):

b. भुगतान का तरीका:

c. रसीद का विवरण:

d. भुगतान की तारीख :

XIII. अन्य जानकारी, यदि कोई:

मालिक/एजेंट/मैनेजर के हस्ताक्षर

भाग-2

आवेदन शुल्क

(ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (सेंट्रल)

रूल्स, 2026 का नियम 163(4) देखें)

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (सेंट्रल) रूल्स, 2026 के नियम 163(3) के तहत मंजूरी के लिए आवेदन के साथ जमा की जाने वाली फीस की राशि नीचे बताई गई है:

खदानों में 2000 तक कर्मचारियों वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए: ₹5000

खदानों में 2000 से ज़्यादा और 4000 तक कर्मचारियों वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए: ₹10000

खदानों में 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए: ₹15000

[फा. सं. डीजीएमएस/03-3/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षकसुविधा-सह- प्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub Rule (4) of Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, based on the recommendations of the Committee constituted under sub-rule (4) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions

(Central) Rules, 2026 hereby, specify the proforma and fee of application to be submitted by training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

Scope: This standard specifies proforma and fee of application to be submitted by the employer in respect of training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as required under sub-rule (4) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for obtaining approval to also impart vocational training to the persons employed in mines.

Applicability: This proforma and fee shall be applicable to all training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, which is having infrastructure and facilities as specified under sub-rule (3) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, and shall also be used for imparting vocational training to the persons employed in mines.

Compliance Requirement:

PART-1

Application form

(See Rule 163(4) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026)

From

.....

To

The Chief Inspector cum Facilitator, Dhanbad

The Regional Inspector cum Facilitator, Region

Subject: Application under Rule 163(3) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for approval of(Name) training center of M/s.....established under.....law for imparting vocational training to the mine employees.

We hereby submit the details of staff, equipment and infrastructure available at our training institute.

I. General Information about Training Centre:

- a. Fresh approval /Renewal:
- b. Ref. of previous approval:

II. Details of Staff (As on the date of the application):

1. Whole time Training officer

- a. Name of the Training officer
- b. qualification,
- c. experience
- d. Statutory certificate held.

2. Details of Mining instructor:

- a. Name of the instructor
- b. Qualification
- c. Experience
- d. Statutory certificate held

3. Details of Mechanical Instructor:

- a. Name of the instructor
- b. Qualification
- c. Experience

4. Details of the Electrical Instructor:

- a. Name of the instructor
- b. Qualification
- c. Experience

- d. Statutory certificate held if any:
5. **Details of the Instructor (In case of oil mines):**
- Name of the instructor:
 - Discipline (Drilling, Petroleum, Chemical, Geo-Physics and other)
 - Qualification
 - Experience
6. Proposed guest faculty to be called to impart training:
- Qualification:
 - Experience:
7. Trainers (experienced employee) for on-the-job instructions:
- Number of Trainers provided (trade-wise):
8. Details of Other Subordinate Staff's (Such as Librarian, clerks, typists, data entry operators, draughtsman, Multi-Tasking staff/office attendant, Gardner & sweepers etc.):

III. Details of Mines and employment proposed to impart training:

Sl. No.	Mine Name	Owner	No of persons employed			Distance from training centre	Remarks
			Departmental	Contractual	Total		

IV. Infrastructure details:

Sl. No.	Facilities	Required	Provided	Deficiency
1	Lecture hall/room			
2	Gas testing room (Applicable for underground mines)			
3	Officer room			
4	Storeroom			
5	Work shed for demonstration			

V. ACCOMMODATION AND FACILITIES AT TRAINING CENTRE:

Sl. No	Facilities	Required	Provided	Deficiency
1	Training officer Room			
2	Assistant Training Officer's room			
3	Instructor's room			
4	Library cum reading room			
5	Gas-Testing chamber (Applicable for underground mines only)			
6	Office-staff cum record room			
7	Model-room cum Training Shop			
8	Training Gallery			
9	Sanitation arrangement (Adequate number of urinals/toilets for male/female/transgender)			
10	Arrangement for drinking water			
11	Adequate parking space			

12	Residential facility for trainees, if any			
13	Arrangement for conveyance for trainees from mines, if any			

VI. FURNITURE:

Sl.No.	Facilities/Furniture	Required	Provided	Deficiency
1	Tables & Chairs for instructional & other staff			
2	Desks/benches/stools for trainees			
3	Almirahs & filing cabinet for keeping training records			
4	Computer with Printer, Scanner, Photo Copier etc.			
5	Bookcase/shelves for storing books and magazines			
6	Clocks, waste paper basket			
7	Fixture for safety helmet, safety lamp & worker's uniform			

VII. TRAINING AIDS:

Sl.No.	Aids	Required	Provided	Deficiency
1	Equipment at Training Centre (Specify)			
2	Notice/Bulletin Board			
3	i. Black Board/white Board ii. Smart board if any			
4	i. Multimedia Projectors with audio-visual aids and TV. ii. Overhead/LCD Projector			
5	Wall charts on different subjects			
6	Gas testing Equipment, relevant charts of gas caps and flame safety Lamps (Applicable for underground mines only)			
7	Models (working, cut-away etc.)			
8	Safety & other posters; flip charts, flashcards, graphs, pictorial diagrams; photographs			
9	Film and film strips, digital videos/information stored in CD's or in pen drives or hard disk or any other digital storage device on safety or safe way of joining a job in mines or work shops			
10	Miners protective equipment (goggles, gloves, safety belts, respirators, gas masks, self-rescuer etc)			
11	First aid equipment			
12	Availability of Course Material for different courses being undertaken			
13	Course to be conducted			
14	Any other training aids			

VIII. MECHANICAL/ELECTRICAL TRAINING SHOP AND HAND TOOLS:

Sl.No	Appliances	Required	Provided	Deficiency
1	Safety devices such as Sylvester's prop withdrawal, re-railers, switches, drags; attachment for wire ropes such as pick, hammer, shovel, crowbar and tools employed in timbering & other support work, track laying, pipe fitting, and tools appliances and accessories for drilling of shot holes and for shot firing/blasting operations			
2	Electrical testing devices, electrical lay-outs of important electrical equipment and working cut-models of different machineries			

IX. REFERENCE MATERIALS:

Sl. No	Materials	Required	Provided	Deficiency
1	Manufactures' materials such as sample of different types of wire ropes, electrical conductors and mining cables, ventilation devices such as ventilation-tubes, brattice			
2	Reference books on various subjects, catalogues and related magazines			

X. SUPPLIES:

Sl. No.	Materials	Required	Provided	Deficiency
1	A) Class room: i) Black board, chalk, white board, whiteboard pen, stationery articles, forms & registers, workbooks ii) A set of stencils for lettering and brushes and paints, writing slates & pencils.			
	B) Training gallery/work-shed: i) Materials such as timber and or steel supports, lids, wedges etc tramline with necessary stores such as fishplates, bolts dog nails, sleepers etc. tubs/bandies for manipulation, fitting such as doors, regulators & other devices for ventilation, control of fire etc. ii) Blasting tools and dummy blasting accessories to be used in OC or UG (as applicable) iii) Tools, Accessories and Sample Forms/Registers used for Positive Isolation of Electrical and Mechanical Energy.			
	C) Oil Mines work shed: Operational details, site specific equipment, safety tools used during the work such as safety belts, firefighting arrangement, PPE's, gas detectors etc.			

XI. OTHER FACILITIES:

- a. Details of Simulators for training on different machinery like dumper, shovels, dozer, grader, loader etc. (if any):

b. Any Other Facility:

XII. DETAILS OF APPLICATION FEES:

- a. Amount in Rs :
- b. Mode of Payment :
- c. Receipt Details :
- d. Date of Payment :

XIII. OTHER INFORMATION, if any:

PART-2

Application Fee

(See Rule 163(4) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026)

The amount of fee to be paid along with application for approval under Rule 163(3) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, shall be as specified below:

For training centre catering to up to 2000 employees in mines: Rs.5000

For training centre catering to more than 2000 and up to 4000 employees in mines: Rs.10000

For training centre catering to more than 4000 employees mines: Rs.15000

[F. No. DGMS/03-3/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines